देo दून क्यु नंo 127
निविदा फार्म का मूल्य–रू0 2000+जी0एस0टी0

नगर निगम, देहरादून।

प्रपत्र (ख) वित्तीय निविदा का प्रारूप

नीचे लिखे कार्य के लिए मोहरबन्द लिफाफों में निविदा दिनांक 29.06.2019 की अपराह्न 3.00 बजे तक स्वास्थ्य अनुभाग, नगर निगम, देहरादून कार्यालय में जमा करने होंगे उसके उपरान्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

कार्य का नामः नगर निगम सीमान्तर्गत कूड़े की ढेर/ढेरियां प्राईवेट ट्रैक्टर ट्राली से शहर के विभिन्न स्थानों से उठाकर ट्रांसफर स्टेशन में निर्धारित स्थल पर खाली कराने के सम्बन्ध में।

क्र.सं.	विवरण	प्रतिदिन का व्यय	एक माह का व्यय
1.	प्रति ट्रैक्टर ट्राली (ड्राईवर, ईधन सहित)		
2.	प्रति ट्रैक्टर ट्राली (ड्राईवर, ईधन रहित)		

हस्ताक्षर निविदादाता

वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी,
नगर निगम, देहरादून।

Scanned by CamScanner

प्रपत्र (क) तकनीकि निविदा का प्रारूप

कार्यालय नगर निगम, देहरादून सफाई उपकरण वर्ष 2019–20

1.	फर्म का नाम	
2.	फर्म का पता	
3.	फर्म का फोन/मोबाइल नं0	

संलग्नक/प्रमाण पत्रों की छायाप्रति का विवरण

4.	फर्म का पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न है।	
5.	फर्म का पैन नम्बर संलग्न है।	
6.	फर्म का वाणिज्य क्लीयरेन्स सार्टिफिकेट विगत वर्ष का संलग्न है।	
7.	फर्म की धरोहर राशि की एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 संलग्न है।	
8.	03 वर्षों का आयकर विवरण	
9.	फर्म की विगत 3 वर्षो की वैलेन्स सीट सीए द्वारा प्रमाणित	
10.	फर्म का विगत 3 वर्षो का टर्न ओवर प्रतिवर्ष रू0 एक करोड़ से कम न हो	
11.	जी0एस0टी0 पंजीकरण संख्या	

निविदादाता के हस्ताक्षर

वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी,
नगर निगम, देहरादून।

निविदा दाता का नाम..
पता..
मोहर ....
मोबाइल नम्बर..

Scanned by CamScanner

नगर निगम, देहरादून (स्वास्थ्य अनुभाग)

नगर निगम सीमान्तर्गत कूड़े की ढेर/ढेरियां प्राईवेट ट्रैक्टर ट्राली से शहर के विभिन्न स्थानों से उठाकर ट्रांसफर स्टेशन कारगी में खाली कराने हेतु निविदा की शर्ते

1. निविदा सम्बन्धी जानकारी निगम कार्यलय में 11 बजे प्रातः से 4 बजे अपराह्न तक (रविवार एवं अवकास के दिवस को छोड़कर) कर सकते है तथा कार्य के सम्बन्ध में कोई अन्य आवश्यक सूचना भी प्राप्त कर सकते है। निविदा फार्म क्रय किये जाने के उपरान्त यह समझा जायेगा कि ठेकेदार ने कार्य के सम्बन्ध में सम्बन्धित समस्त जानकारी प्राप्त कर ली है।
2. निविदाओं पर निर्णय नगर आयुक्त द्वारा अथवा निगम द्वारा इस आशय से अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जायेगा। निविदा नोटिस में दिये गए निर्धारित समय पर निविदा खोली जायेगी, यदि निविदादाता चाहे तो निविदा खोलने के समय उपस्थित हो सकते है।
3. निविदा सीलबन्द मजबूत लिफाफे में भेजना आवश्यक है। लिफाफे पर निविदा शब्द लिखा जायेगा बगैर सील बन्द निविदा निरस्त कर दी जायेगी। निविदा वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम,देहरादून के नाम से प्रेषित की जायेगी।
4. निविदा के साथ धरोहर के रूप में 200000 धनराशि का एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 जो वरिष्ठ वित्त अधिकारी, नगर निगम, देहरादून के नाम प्लेज (बंधक) होगी, जमा करना अनिवार्य है। किसी अन्य खाते में जमा अथवा पूर्व से जमा धरोहर राशि मान्य नहीं होगी।
5. किसी भी निविदा को स्वीकृत करने अथवा बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को होगा। यह आवश्यक नहीं है कि न्यूनतम अथवा अन्य निविदा स्वीकार ही की जाय।
6. नगर आयुक्त एवं मा0 मेयर, नगर निगम, देहरादून के लिखित अनुमोदन के बगैर दरें मान्य नहीं होगी।
7. कार्य के लिए अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।
8. निविदा सम्बन्धी धरोहर राशि आपूर्ति की तिथि के छः माह बाद वापस की जायेगी।
9. प्रत्येक ट्रैक्टर ट्राली को प्रतिदिन कम से कम 04 फेरे करने अनिवार्य है, जो पूरी ऊंचाई तक भरकर ले जाने होंगे, प्रतिदिन अथवा प्रतिफेरेवार उठाये जाने वाले कूड़े का निर्धारण एवं भौतिक सत्यापन, ट्रैक्टर इंचार्ज/सुपरवाईजर, लॉरीगैंग इंचार्ज के अतिरिक्त क्षेत्रीय सफाई नायक, सफाई निरीक्षक एवं वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा किया जायेगा। बिना समक्ष अधिकारी/कर्मचारी के सत्यापन के फेरा गिनती नहीं किया जायेगा और उसके लिए भुगतान नहीं किया जायेगा। बिलों के भुगतान साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक करने के सम्बन्ध में निविदादाता को आवेदन में स्पष्ट उल्लेख करना होगा।
10. निविदादाता फर्म को ईधन सहित एवं ईधन रहित दोनों प्रकार की दरें देनी होगी। ईधन रहित दरें स्वीकृत होने पर निविदादाता फर्म को अपने ट्रैक्टर ट्राली को कार्य समाप्ति के उपरान्त निगम वर्कशाप में ही खड़ा करना होगा तथा ट्रैक्टर ट्रालियों से 04 फेरे से अधिक फेरे भी कराये जा सकते है।
11. ट्राली का साईज 9x6 एवं 10x6 से कम न हो।
12. प्रत्येक ट्रैक्टर ट्राली द्वारा 04 फेरे अनिवार्य रूप से लगाये जायेंगे, 04 फेरे से कम लगाये जाने पर बिल से समानुपातिक कटौती की जायेगी।
13. भुगतान में किसी प्रकार की देरी के लिए निविदादाता फर्म द्वारा कार्य नहीं रोका जायेगा तथा वाहन की मरम्मत, किसी प्रकार के टूट–फूट, सर्विस, चालक आदि पर होने वाले व्यय ठेकेदार द्वारा स्वंय वहन किये जायेंगे।
14. निविदा दरों के साथ ठेकेदार को वाहन का इंश्योरेन्स, पंजीकरण एवं चालक के लाईसेंस की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
15. यदि कोई निविदादाता कार्य आदेश के बाद निर्धारित समय में कार्य प्रारम्भ नहीं करता अथवा संतोष जनक रूप से कार्य नहीं करता अथवा शर्तो का उलंघन करता है तो निविदादाता की धरोहर राशि जब्त करते हुए उसका अनुबन्ध एवं निविदा को निरस्त किया जायेगा अथवा फर्म को ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है।
16. दरें स्वीकृत होने पर निविदादाता को कार्य करने से पूर्व 100 रू0 के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा।
17. फर्म उत्तराखण्ड राज्य में पंजीकृत होनी चाहिए।

उपरोक्त कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए विभाग द्वारा निविदादाता को केवल एक बार ही सूचित किया जाना पर्याप्त होगा।

....

मैने उपरोक्त नियमों एवं शर्तो का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लिया है यदि यह निविदा स्वीकृत होता है तो मैं/हम उपरोक्त नियमों एवं शर्तो का पालन करते हुए, निर्धारित अवधि में कार्य करने के लिए सहमत हूँ/है। मैने कार्य सम्बन्धी सभी विवरण देख लिये है व स्थल सहित समस्त जानकारी प्राप्त कर ली है।

हस्ताक्षर निविदादाता:.........................

नाम: ....

पता: ....

वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी,
नगर निगम, देहरादून

Scanned by CamScanner